न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 95/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/109)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 19.03.2021

1. श्री चम्पालाल मुतबन्ना प्यारा चमार, निवासी बिलिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती नन्दू पुत्री स्व. प्यारा चमार, निवासी बिलिया हाल पत्नि भगवान चमार, निवासी नेगडिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती जमना पुत्री स्व. प्यारा चमार, निवासी बिलिया हाल पत्नि देवीलाल चमार निवासी बतको का खेडा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. सरपंच ग्राम पंचायत नगरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री जयप्रकाश आमेटा –अधिवक्ता अपीलांट
2. सुश्री प्रमोदनी बक्षी –अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1,2 (**वक्त बहस अनुपस्थित**)

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण
संख्या–05/2014 नामांतरण संख्या 118 निर्णय दिनांक 03.07.2015

निर्णय

दिनांक 19.03.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (कैम्प कोर्ट नगरी) के प्रकरण संख्या 05/2014 निर्णय दिनांक 03.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 19.10.2015 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश

41 नियम 5 जाप्ता दीवानी के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स/अपीलांट श्रीमती नंदु एवं जमना पुत्री स्व. श्री प्यारा चमार निवासी बिलिया हाल नेगडिया कला एवं बतकों का खेडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.02.2014 को अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 118 दिनांक 21.05.1990 ग्राम पंचायत नगरी पेश कर निवेदन किया कि उक्त नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर बिना वारिसान के जांच किये अपीलांट/प्रतिवादी चम्पालाल पिता दयाराम के नाम अंकित कर दी जबकि रेस्पोडेंट/अपीलांट प्यारा जी चमार की जाइन्दा पुत्रियां होकर विधिक उत्तराधिकारी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 05/2014 दर्ज कर निर्णय दिनांक 03.07.2015 से नामांतरकरण संख्या 118 ग्राम पंचायत नगरी को निरस्त किया जाने से दुखी व असंतुष्ट होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.07.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित हैः– *"बिना जांच व सुनवाई के ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 118 दिनांक 21.05.1990 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में पूर्ण जांच करें तथा रेस्पोडेंट के दावों के बारे में भी जांच करे तत्तपश्चात् विधि सम्मत निर्णय पारित करें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश आमेटा उपस्थित, रेस्पोडेंट व अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित एक तरफा बहस दिनांक 10.03.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना तथा पक्षकरों के अधिकारों की व्याख्या किये बिना प्रश्नगत आदेश पारित किया है। पारित निर्णय तथ्यों एवं उपलब्ध रेकार्ड एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। इंतकाल आदेश 21.05.1990 ग्राम पंचायत नगरी द्वारा निर्णित दिनांक 11.05.1990 को पारित किया गया जो ग्राम पंचायत की कौरम में ग्रामवासियों की मौजूदगी में फैसल किया गया जिसमें किसी भी व्यक्ति व वारीस ने कोई उजर ऐतराज नहीं किया तथा ग्राम पंचायत के नामांतरण की अपील तहसीलदार को की जानी चाहिए थी। इस कानूनी बिन्दु को अधीनस्थ न्यायाल ने गौर नहीं किया। 2005 से पूर्व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में अधिकार लडकियों का अपने पूर्वजों की भूमि में नहीं था इस कानूनी बिन्दु का अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील बेरून मयाद होने के बावजूद भी स्वीकार किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके की मूल खातेदार प्यारा की पुत्रियां हो। राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त भूमि वर्तमान में नामांतरण संख्या 861 दिनांक 04.12.2014 से संपूर्ण खाता औद्योगिक रूपांतरण स्वीकृति हो चुकी है। जिसकी सूनवाई का अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय को नही होने के बावजूद भी अपील स्वीकार कर रिमाण्ड की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायायल के प्रकरण संख्या 05/2014 निर्णय दिनांक 03.07.2015 को अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

रेस्पोडेंट बवक्त बहस अनुपस्थित रहें। लिखित बहस भी उपरोक्तानुसार पेश नहीं की है।

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.07.52015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 08.10.2015 को प्रस्तुत की है एवं इसके लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया है कि निर्णय उसकी अनुपस्थिति में शिविर में किया गया, अतएवं उसे निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट द्वारा किये गये कथनों, रेकर्ड एवं न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा लिये गये अपील उजरात के आधार पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं।

अपीलाण्ट का प्रथम उज्र यह है कि नामान्तकरण आदेश 21. 05.1990 ग्राम पंचायत में कोरम में ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें किसी ने भी कोई उज्र नहीं उठाया।

अपीलाण्ट का यह उज्र मान्य नहीं है क्योंकि अपील के निर्णय के समय मतृक पक्षकार की पुत्रियां उपस्थित नहीं थी अथवा उनके हितों बाबत् कोई निर्णय नहीं हुआ, अतएवं कोरम द्वारा निर्णय किये जाने को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।

अपीलाण्ट का द्वितीय उज्र यह है कि 2005 से पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में हिन्दू में लड़कियों का अपने पूर्वजों की भूमि में अधिकार नहीं था।

अपीलाण्ट का यह उज्र विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से प्रभाव में है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता की सम्पत्तियों में पुत्रियों को हक वर्ष 1956 से ही उपलब्ध है।

अपीलाण्ट का तृतीय उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को बैरून मियाद होने के बावजूद अपील स्वीकार करने में भूल की है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पुत्रियों का पिता की सम्पत्ति में विधिक अधिकार होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अधिकार को विलोपित करते हुए निर्णय पारित किया है, तद्नुसार ग्राम पंचायत का निर्णय प्रारम्भ से विधिविरूद्ध है एवं ऐसे निर्णयों में मियाद का कोई महत्व नहीं होता। महिला अधिकारों की महत्वता एवं विधि के प्रावधानों के तहत ऐसे प्रकरणों में मियाद गौण है।

अपीलाण्ट का चतुर्थ उज्र यह है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे स्पष्ट होता हो कि प्यारा चमार की कोई पुत्री हो।

अपीलाण्ट का यह उज्र भी मान्य नहीं है क्योंकि वह एक तरफ तो 2005 से पूर्व पुत्रियों का हक नहीं होने का कथन करता है, वहीं दूसरी ओर रेस्पोंडेण्ट नन्दूबाई व जमना का उनकी पुत्री नहीं होना बताता है। परन्तु स्वयं के द्वारा भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे रेस्पोंडेण्ट प्यारा की पुत्रियां नहीं हो।

अपीलाण्ट का पंचम उज्र यह है कि नामान्तकरण संख्या 861 दिनांक 04.12.2014 से सम्पूर्ण खाता औद्योगिक रूपान्तरण हो चुका है जिसकी सुनवाई का अधिकार तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को नहीं है।

हम इस प्रकरण में यह पाते हैं कि रेस्पोंडेण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में अपील दिनांक 07.02.2014 को प्रस्तुत की गयी व अपीलाण्ट द्वारा औद्योगिक भूमि रूपान्तरण होने का नामान्तकरण दिनांक 04.12.2014 होना वर्णित किया है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.02.2014

को अपील प्रस्तुत करते समय अथवा उपीलाण्ट की उपस्थिति दिनांक 14.05.2014 को उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है। प्रकरण में जब किसी पक्षकार के हक अधिकारी न हो एवं उसके द्वारा भूमि का हस्तान्तरण स्वरूप परिवर्तित कर दिया जाता है तो इससे स्वामित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र भी महत्वपूर्ण नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि अपीलीय न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

अपीलीय न्यायालय के समक्ष मृतक खातेदार की पुत्रियां होने बाबत् प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध थी। इसके विपरीत अपीलाण्ट का गोद पुत्र होने के आधार पर (जिसकी कोई साक्ष्य/विधिक दस्तावेज नहीं होना भी कथित नामान्तकरण पर कथित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा टिप्पणी की गयी) अपुष्ट साक्ष्यों के आधार पर पक्षकार की विरासत में गोद पुत्र मानकर पुत्रियों को वंचित करते हुए जो ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया, उस बाबत् प्रथम अपीलीय अधिकारी उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार के तहत तथ्यों एवं विधि के आधार पर प्रकरण तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को वारिसान की जांच कर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जो पूर्णया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से उचित निर्णय है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर